कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (37/26, दिनांक 19.06.2026)

दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पेंगोलिन के अवयवों की तस्करी एवं अवैध व्यापार में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ति (37/26, दिनांक 19.06.2026)

माननीय जिला सत्र न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश में आरोपी विजय कुमार ग्राय, निवासी जबलपुर द्वारा प्रथम जमानत याचिका क्रमश: BA-1788/2026 दायर की जिसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई जबलपुर द्वारा की गई सटिक विवेचना एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलो दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन स्कैल्स की तस्करी के संगठित गिरोह से संबंधित होकर अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति के आधार पर व वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-51क अंतर्गत् आवेदक के निर्दोष होने के संबंध में विश्वास किये जाने का आधार नही है। अत: बीएनएसएस की धारा 483 के तहत खारिज की गई।

प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश से मिले निर्देश पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर को वनयजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरों से प्राप्त सूचना के आधार पर कटनी जिले के ग्राम झिन्ना पिपरिया, खमतरा, ढिमरखेडा रोड पर घेराबंदी कर विधिवत कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.06.26 को 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 5 किलोग्राम पेंगोलिन की शल्क (स्क्रैल), 01 मोटर साइकिल एम.पी. 20 एन यू 5614, 01 नग चार पहिया वाहन सिट्रान सी- 3 क्रमांक एम.पी-20 –जेड क्यू 6904 जप्त कर, वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/24 दिनांक 08.06.26 दर्ज किया गया। दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2022) की अनुसूची प्रथम के तहत संरक्षित है। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल